न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 20 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. आसु पुत्र स्व. प्रतापा	बनाम	1.नन्दराम पुत्र पूरा
2. अमृतलाल पुत्र स्व. प्रतापा जाति माली निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर		2.डूंगरा पुत्र पूरा जाति माली निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 3.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 270 / 2008 बअनवान नन्दराम बनाम प्रतापा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 15.07.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट(वादी) संख्या 01 तथा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 859 रकबा 21 बीघा एवं खसरा संख्या 1031 रकबा 04.16 बीघा कुल रकबा 25.16 बीघा की भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा बाड़मेर आगौर मे आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा घोषित करने हेतु घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित करने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 का भी 1/4 हिस्सा घोषित कर दिया है जो अभिवचन से ज्यादा सहायता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपना हिस्सा घोषित करवाने के लिए वाद पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

का 1/4 हिस्सा घोषित करने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 का भी 1/4 हिस्सा घोषित कर दिया है जो अभिवचन से ज्यादा सहायता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 02 ने काउन्टर प्रतिदावा प्रस्तुत करके वादग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करने की सहायता चाही थी इसी कारण तनकी संख्या 03, 04 एवं 05 प्रतिवादी संख्या 02 के जिम्मे रखी गई थी परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 02 न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित ही नहीं हुआ और न ही उनके गवाह उपस्थित हुए और ना ही प्रतिवादी सख्या 02 की ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया है। सी पी सी के आदेश 08 नियम 6ए के तहत प्रतिदावा को वादपत्र के रूप मे माना जाता है और वही सब नियम लागू होगे जो वाद पत्र में लागू होते है। रेस्पोडेंट संख्या 02 के जिम्मे रखी गई तनकियों को रेस्पोडेंट संख्या 02 साबित करने में पूर्णतया विफल रहा, उसके बावजूद भी अधीनस्थ अदालत ने प्रतिवादी संख्या 02 का काउन्टर प्रतिदावा स्वीकर कर कानूनन त्रुटि की है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 01 का कोई हक या हिस्सा नहीं था तथा न ही उसका आज तक कभी इस आराजी पर कब्ज काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो साक्ष्य करवाई वो मानने योग्य भी नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय में तुलनात्मक साक्ष्य में भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी साक्ष्य ज्यादा ठोस है उसके बावजूद दस्तावेजों के बारे में आदेश में कोई जिक्र तक नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मृत प्रतापा के विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है और मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई डिक्री शून्य है काबिल निरस्त योग्य है। हस्तगत वाद प्रस्तुत करते समय वादी की माता जीवित थी तथा वादी स्वयं ने जिरह के पेज संख्या 03 की प्रथम पंक्ति में स्वीकार किया है कि मां अभी फौत हुई है इस प्रकार वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है तथा मां आवश्यक पक्षकार थी लेकिन उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की तरफ से न तो कोई वकील उपस्थित हुआ और न ही प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं उपस्थित हुआ, ऐसे में उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जानी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से उसे 1/4 हिस्सा दे दिया। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने स्वीकार किया है कि उसके पिता पूरा बडे थे तो अपीलांट के पिता द्वारा स्वयं अकेले के नाम से नामांतरकरण पारित करवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलांट के पिता प्रतापा का नाम अचला के जीवनकाल मे ही दर्ज था इसके अतिरिक्त स्वयं रेस्पोडेंट ने स्वीकार किया है कि मेरे पिता सेटलमेंट से पूर्व ही अलग हो गए थे तो वादग्रस्त आराजी में पूरा का हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलाधीन आराजी खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

संख्या 859 रकबा 21 बीघा मौजा लालाणियों की ढाणी में आया हुआ है जबकि अधीनस्थ अदालत ने वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 859 रकबा 21 बीघा को मौजा बाड़मेर आगोर में गलत रूप से बताते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

RRT 2003(2) SC Page 881
RRT 2006(1) Page 4
CCC 2009(2)SC Page 141
RRT 2011(2)SC Page 1198
DNJ 2013 REV Page 185
CCC 2009(4) Page 347
RRT 2005(2) Page 1075
CCC 2008(2) Page 20
CCC 2007(4) Page 122
RRT 2006-07 Page 4
RRT 2008(2) Page 1216
RRT 2003(2) Page 881
CCC 2005(2) Page 462
RRT 2012(2) Page 860
CCC 2008(2) SC Page 762
CCC 1997(2) Page 44
CCC 2016(1) SC Page 175
CCC 2011(3) SC Page 445
CCC 2008(2) Page 20
CCC 1999(2) Page 91

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी में मेरे पिता पूरा का 1/2 हिस्सा होने के कारण मेरा उसमे निहित 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का मै अधिकारी हूँ। मेरे द्वारा अवलाराम के देहांत से पूर्व ही मेरे पिता पूराराम का देहांत हो गया था। वादी नंदराम व डूंगराराम नाबालिग थे वे अपने चाचा प्रतापा के सानिध्य मे रहे। प्रतिवादी के पक्ष में साक्ष्य पर्याप्त पेश हो गई है इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित नहीं किया गया है। मृत प्रतापा के कायम मुकाम को रेकर्ड पर ले लिया गया था। मात्र लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर खातेदार अवलाराम के साथ उसके दोनों पुत्रों प्रतापा व पूरा का भी कब्जा काश्त था जब वे कुंआरे थे। अचलाराम ने कोई वसीयत नहीं की। वादग्रस्त भूमि का विरासत नामांतकरण अचलाराम की फौतेदगी के आधार पर भरा है। प्रतापा एवं पूरा सगे भाई और स्व0 अचला के बेटे है। बाप दादों की जमीन में हिस्सा मिलना चाहिए। वादपत्र के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि अचला के दो पुत्र थे इसलिए अवला की मृत्योपरांत उसके दोनों पुत्रों प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित है। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि रेस्पोडेंट उसका भाई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी पैतृक जमीन में रेस्पोडेंट्स का हक हिस्सा है मानते हुए द्वारा प्राथमिक कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमे किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि स्व0 अचला की खातेदारी में दर्ज हुई। उसकी मृत्योंपरांत भरा गया विरासत नामांतरण अकेले उसके पुत्र प्रतापा के नाम भरा गया और इसमें पूरा का नाम छोड़ दिया गया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और मृतक के दो प्रथमश्रेणी के वारिस उसके दोनों पुत्रों का इसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार आधा–आधा हिस्सा जन्म से ही सन्निहित है। यह एक निर्विवादित तथ्य है कि अचला के दो पुत्र प्रतापा व पूरा थे। लिखित बहस मे अपीलांट ने यह माना है कि अवला के दो पुत्र थे जिसमें प्रतापा छोटा तथा पूरा बड़ा था। स्वीकारोक्ति एव निर्विवादित तथ्य को साबित करने की आवश्यकता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नही रह जाती क्योंकि वह विवाधक ही नहीं होता। इसलिए वादग्रस्त आराजी स्वीकृत तथ्य के आधार पर दोनों पुत्रों को आधी– आधी हासिल होनी है। अधीनस्थ न्यायालय मे यह पूर्णतया साबित हो चुका है, जैसा कि तनकी संख्या 01 में पूर्णतया विवेचन के बाद अभिनिर्धारित किया गया है। शेष तनकीयात इसी के परिप्रेक्षय में साबित की गई है जो विधि की दृष्टि में उचित है। आलोच्य प्राथमिक डिक्री में राजस्व रिकोर्ड सम्मत संशोधन वांछित है जिसे लिपीकीय त्रुटि मानी जाकर न्यायालय स्वयं सुधार करनें हेतु सक्षम है इसलिए इस पर उठाये एतराज खारिज किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत है और इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 270/2008 बअनवान नन्दराम बनाम प्रतापा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2020 को यथावत रखा जाता है।

15/7/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner